(85)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

प्रकरण कमांक 3949–एक/2015 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 9–12–2015 – पारित व्दारा तहसीलदार चन्देरी जिला अशोकनगर – प्रकरण कमांक 2 अ–6/2015–16

1– पदम सिंह पुत्र कुँवर कमल सिंह जैन
2– दिलीप सिंह पुत्र कुँवर कमल सिंह जैन
3– प्रदीप सिंह पुत्र कुँवर कमल सिंह जैन
तीनों निवासी सदर बाजार चन्देरी जिला अशोकनगर --- आवेदकगण

विरूद्ध

1– बॉके विहारी चतुर्वेदी पुत्र जयकिशोर चतुर्वेदी
निवासी मोहल्ला फूटा कुआ चन्देरी जिला अशोकनगर
2– मध्य प्रदेश शासन व्दारा पटवारी चंदेरी --- अनावेदकगण

(आवेदकगण की ओर से श्री एस0पी0धाकड़ अभिभाषक)
(अनावेदक क्र–1 के अभिभाषक श्री चंद्रशेखर पाठक अभिभाषक)

आ दे श

(आज दिनांक १७ जून, 2016 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार चन्देरी जिला अशोकनगर व्दारा प्रकरण कमांक 2 अ–6/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 9–12–2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि बॉके विहारी चतुर्वेदी पुत्र जयकिशोर चतुर्वेदी ने तहसीलदार चँदेरी को म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 109, 110 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि

उनके व्दारा कस्वा चन्देरी स्थित भूमि सर्वे कमांक 548 रकबा 0.302 हैक्टर में से अवतारवाई का हिस्सा 1/11रकबा' 0.274 हैक्टर पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 14-9-15 से क्रय किया है । अतः क्रय किये गये रकबे पर नामान्तरण किया जावे। तहसीलदार चन्देरी ने प्रकरण कमांक 2 अ 6/1-14 पंजीबद्व किया तथा इस्तहार का प्रकाशन कराया। नामान्तरण कार्यवाही पर आवेदकगण ने आपत्ति आवेदन प्रस्तुत किया तथा इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की कि सभी सहखातेदारों को प्रकरण में बुलाया जावे एंव डायवर्सन भूमि के नामान्तरण करने के अधिकार तहसीलदार को नहीं है। तहसीलदार ने हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई कर अंतरिम आदेश दिनांक 9-12-15 पारित किया तथा आपत्तिकर्तागण व्दारा प्रस्तुत आपत्ति आवेदन अस्वीकार किया। इसी अंतरिम आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि तहसील न्यायालय में आवेदकगण व्दारा प्रस्तुत आपत्ति "कि सभी सहखातेदारों को प्रकरण में बुलाया जावे एंव डायवर्सन भूमि के नामान्तरण करने के अधिकार तहसीलदार को नहीं है " का निराकरण तहसीलदार चन्देरी ने आदेश दिनांक 9-12-15 से किया है एंव इसी दिन आवेदक एंव अनावेदक के अभिभाषक के अंतिम तर्क श्रवण कर प्रकरण अंतिम आदेश हेतु 10-12-15 को नियत किया है एंव प्रकरण का अंतिम निराकरण भी आदेश दिनांक 10-12-15 से कर दिया है और यह आदेश आवेदकगण के अभिभाषक ने यथासमय 10-12-15 को तहसीलदार की आर्डरशीट के ह्रासिये पर टीप किया है । आवेदकगण

के अभिभाषक व्दारा अंतिम आदेश 10-12-15 को टीप करना यही माना जावेगा, कि आवेदकगण ने यह आदेश टीप किया है अर्थात आवेदकगण को तहसीलदार के अंतिम आदेश की जानकारी 10-12-2015 को हो चुकी है जबकि आवेदकगण ने तहसीलदार चन्देरी के अंतरिम आदेश दिनांक 9-12-15 की निगरानी इस न्यायालय में दिनॉक 10-12-15 को प्रस्तुत की है और निगरानी प्रकरण में प्रथम सुनवाई दिनांक 14-12-15 को की जाकर निगरानी सुनवाई हेतु ग्राह्य की गई है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार व्दारा प्रकरण का अंतिम निराकरण 10-12-15 को कर दिये जाने के कारण विचाराधीन निगरानी महत्वहीन हो जाती है क्योंकि तहसीलदार का आदेश दिनांक 10-12-15 अपील योग्य होकर आवेदकगण को तदाशय का उपचार प्राप्त है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी गुणदोष पर विचार किये बिना निष्फल हो जाने से इसी स्तर पर निरस्त की जाती है। फलतः तहसीलदार चन्देरी जिला अशोकनगर व्दारा प्रकरण कमांक 2 अ-6/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 9-12-2015 यथावत् रहता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर